प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड,गोरखपुर

सेवा में,

सूचना निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सूचना भवन, पार्क रोड़,
लखनऊ

पत्रांकः /ननिखगो/ई–निविदा दिनॉकः 2019

विषयः ई–निविदा–सूचना संख्या–02/अ0अ0,ननिखगो/2019–20 के प्रकाशन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

इस कार्यालय के अल्पकालीन निविदा सूचना संख्याः–02/अ0अ0,ननिखगो/2019–20 की आठ प्रतियां (सी0डी0 सहित) इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि नवीन नलकूपों के निर्माण हेतु बजरी pea gravelआपुर्ति कार्य हेतु निविदा का प्रकाशन, संबंधित प्रचलित निम्न राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में दो दिवस के अन्तराल से दो बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें:–

1– अमर उजाला
2– दैनिक जागरण
3– हिन्दुस्तान टाइम्स

साथ ही निविदा सूचना को शासनादेश संख्या–ए–1–1173/10–2001–10(55)/2000 दिनॉकः27.04. 2001 बिन्दु ''क'' के अनुसार बेबसाइट www.Upinfo.org पर भी उपलब्ध (upload)करने का कष्ट करें ।

संलग्नः– निविदा सूचना 08 प्रतियों में एक अद्द सी0डी0 सहित ।

भवदीय

(गौरव सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड–गोरखपुर

पत्रांकः /ननिखगो/तदिनॉकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
2–प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3–मुख्य अभियन्ता(नलकूप–पूर्व) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश फैजाबाद ।
4–अधीक्षण अभियन्ता कम्पयूटर सेल कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एव जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को एक प्रति सी0डी0 सहित विभाग के वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु ।
5–अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, गोरखपुर ।
6–अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड प्रथम– गोरखपुर/अधिशासी अभियन्ता,नलकूप खण्ड द्वितीय गोरखपुर/अधिशासी अभियन्ता, लिफ्ट सिंचाई खण्ड गोरखपुर एवं कार्यप्रबन्धक कार्यशाला खण्ड गोरखपुर ।
7–नोटिस बोर्ड ।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार ।

(गौरव सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड–गोरखपुर

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप निर्माण खण्ड गोरखपुर

पत्रांक /ननिखगो/ई–टेन्डर/गोरखपुर, दिनॉकः

अल्पकालीन निविदा संख्या–02/अधि0अभि0न0नि0ख0गो0, 2019–20
ई–टेडरिंग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्य की निविदा

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से अघोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु ऑन लाईन http://etender.up.nic.inके माध्यम से अल्पकालीन निविदा सिचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक.–26.09.2019 को अपरान्ह 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक–26.09. 2019 को अपरान्ह–3:00 बजे अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, गोरखपुर उ0प्र0 के कार्यालय में ऑनलाइन खोली जायेगी। निविदा दिनांक–18.09.2019 अपरान्ह 12:00 बजे से दिनांक–26.09.2019 अपरान्ह 12:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। कार्यालय बंद होने या छुट्टी होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

क0 स0	कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की अनुमानित लागत लाख रू0 में	धरोहर धनराशि हजार रू0 में	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य + जी0एस0टी0 + स्टेषनरी चार्ज	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
	supply and carriage of pea gravel 2.00mm to 3.35 mm size from Lal Kuwan to Gorakhpur store Luchhipur tubewell construction division gorakhpur including cost of royalty, loading unloading and stacking at store.	200घन मी0	15.43	30,900.00	45 दिन	300 + जी0एस0टी0 नियामानुसार + 500.00	ए (यांत्रिक) अथवा उच्च

Note- Only online bids will be accepted hence the tenderer has to complete necessary action to participate in e-tendering process

यह निविदा/बिड सूचना उ0प्र0 सरकार की बेवसाइटhttp://upgov.nic.in/, सूचना विभाग कीवेबसाइट

http://information.up.nic.in/ तथा सिचाई विभाग की वेबसाइटhttp://irrigation.up.nic.inपर भी उपलब्ध है। 1– यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र बेवसाइट http://etender.up.nic.in/ पर उपलब्ध है। निविदा के साथ सिचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र(IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2), स्व घोषणा शपथ पत्र (IDT-3) के समस्त अभिलेखों कीस्कैन्ड प्रति(Scanned copy) वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। टेक्निकल बिड खोलने केउपरान्त अपलोडकिये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सत्यापन हेतु कार्यालय में जमा करनी होगी।

2– निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ में ई–टेण्डरिंग हेतु पंजीकृत होना आवश्यकहोगा।

3– कार्य तत्कालिक प्रवृत्ति के है तथा निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जाने अनिवार्य हैं। विलम्ब होने अथवा राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होने की दशा में पेनाल्टी/बीजक से कटौती तथा पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

4– निविदादाता को टेंडर सेल धनराशि जी0एस0टी सहित डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, गोरखपुर के नाम/पक्ष में बन्धक तथा गोरखपुर में देय होगा, जिसकी Scanned copyअपलोड करनी होगी, अन्यथा इनकी निविदा/बिड को Nonresponsiveमानते हुए कोई विचार नही किया जायेगा।

5– धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में जो गोरखपुर में देय हो व राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हों, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड गोरखपुर उ0प्र0 के नाम/पक्ष में बंधक होना अनिवार्य है। जिसकी स्कैन्ड कापी ऑनलाइन अपलोड करना होगा, एवं निविदा खुलने के समय मूल एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 उपलब्ध कराना अनिवार्यहोगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

6— प्रत्येक निविदादाता को फाइनेन्शियल बिड के साथ रू 100/— जुडीषियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपये कारसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी Scanned copyऑनलाइन निविदा के साथ अपलोड करनी होगी। नियमानुसार देय जी0एस0टी0, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी व प्रचलित टैक्स देय होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करनी होगी।

7— कार्य—स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।

8— निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्य स्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी एवं कोई भी अन्य जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है

9— निविदा की विस्तृत शर्त तकनीकी विशिष्टियॉ निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी ।

10— इस निविदा को निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

11— यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने व निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो, तो ऐसे ठेकेदारों के साथ यदि अनुबंध हो भी गया है तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।

12— कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो,वह निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगें।

13— राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगें।

14— यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्व अनुबध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।

15— विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि /समय में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जायेगी।

16— प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह निरीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने IDT-1, IDT-2,IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी है या नही। इसमें किसी प्रकार की कमी याअसन्तोशजनक होने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।

17— अनुबंध गठित होने के पश्चात भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघनकिया गया है, तो ऐसे अनुबंध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दियाजायेगा।

18— टेन्डर दिनॉक 26.09.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे समिति द्वारा खोला जायेगा ।

19— शासनादेश संख्या—622/23—12—2012—2 आडिट/08टी0सी0 दिनांक—08.06.2012 के अनुसार कार्यो कीविभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक दर कम देने पर 0.5 प्रति 1 प्रतिशत कमीपर तथा 10 प्रतिशत से अधिक दरों में कमी पर प्रति 1 प्रतिशत कमी पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त परफारमेंसगारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि देय होगी। उक्त धरोहर धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने कीबाध्यता होगी। अन्यथा निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा नही किये जाने पर उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी

20— निविदादाता की ज्वाइण्ट वैन्चर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नही होगी।

21— सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

22— निविदा दाताओं को अपने बैध e-mail भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

23— नियमानुसार लेबर सेस की कटौती ठेकेदारों के बीजक से की जायेगी।

24— शासनादेश संख्या—383/36—2—2010 श्रम अनुभाग—2, दिनांक—26.02.2010 द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन नियमावली—2009 के अर्न्तगत ठेकेदार को श्रम विभाग में कियेजाने वाले उक्त कार्य का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हैं।

25— टी0ए0सी0/ऑडिट अथवा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा निर्धारित वसूली सम्बंधित निविदादाता फर्म द्वारा वहन की जायेगी।

26— प्रत्येक निविदादाता को निम्नलिखित अभिलेख की मूल प्रति दिनांक—26.09.2019 तक कार्यालय अधिशासीअभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, गोरखपुर में अपरान्ह 12:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगाः—

(क)— वैध पंजीयन की मूल प्रति

(ख)—समान या उच्च लागत के कार्यो का एकल अनुबंध जो कि अनुबंध में निर्धारित समय अवधि में पूर्णकिया गया हो, का मूल अनुभव प्रमाण पत्र।

(ग)—IDT-1, IDT-2,IDT-3प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति।

(घ)– निविदा मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में।

(ड़)– जमानत धनराशिकी एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0 मूल रूप में।

(च)– रू0 100 / – जुडीशियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगा कर अनुबंध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी मूल रूप में।

(छ)– पूर्ववर्ती तीन वर्षा की आयकर विवरणी की सत्यापित छायाप्रति।

27– निविदादाता का जी0एस0टी0 में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

28– धन आवंटन एवं कार्य के अकास्मिकता के अधार पर ही अनुबन्ध गठन का कार्य कराया जायेगा ।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण,गोरखपुर

विशेष नियम,शर्ते एवं तकनीकी विशिष्टयॉः–

1–निविदा दाता को निविदा डालने के लिएhttp://etender.up.nic.inपर पंजीकरण कराना अनिवार्य.होगा। निविदा आनलाइन डालने हेतु निविदादाताओं के पास किसी डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग अथारिटी द्वारा निर्गत डिजिटल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।

2– निविदादाता निविदा में दी गई शर्तो का निविदा प्रेषित करने से पूर्व अवष्य देख ले।

3– अनुबन्ध करने के पूर्व 10 प्रतिशत जमानत धनराशि पर नगद जमा की गई धनराशि पर रुपया 125/–(एक सौ पचीस रुपयामात्र) प्रति हजार की दर से एवं एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्र के रुप में जमा की गयी राशि पर 70/–(सत्तर रुपये) मात्रप्रति हजार की दर से स्टाम्प ड्यूटी जमा करनी होगी। जो स्टाम्प पेपर के रुप में मान्य होगी।

4– ठेकेदार से कराये गये कार्यो का भुगतान करते समय बीजक से आयकर/जी0एस0टी0/लेबर सेस आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

5– निविदा दाता द्वारा निवेदित दरों पर किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क विभाग द्वारा देय नही होगा

6– अनुबन्ध करने के पूर्व निविदादाता को कुल कार्य की लागत का 10 प्रतिशत जमानता धनराशि के रूप में देना होगा। अनुबन्ध करते समय धरोहर धनराशि को जमानत में समायोजित कर लिया जायेगा। जमानत/धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैक के द्वारा निर्गत केवल एफ0डी0आर/सी0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में अधिषासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड,गोरखपुर उत्तर प्रदेश के नाम/पक्ष में बन्धक तथा गोरखपुर मे देय होगा ।

7– निविदाता सिंचाई विभाग में/जल निगम के किसी खण्ड में विगत 3 वर्षो में से किसी एक वर्ष में कम से कम तीन सौ घन मी0 बजरी आपुर्ति का प्रमाण़–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रमाण पत्र के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जायेगा

8– बजरी की आपूर्ति भारतीय मानक ब्यूरों के आई0एस0 4097–1999 के मानक के अनुरूप अथवा इसके लेटेस्ट संसोधन के अनुसार करनी होगी ।

9– बजरी लाल कुऑ खदान की ही मान्य होगी ।

10– बजरी के साइज में अन्तर होने पर बजरी की छनाई कर उपयुक्त पायी गयी बजरी का भुगतान किया जायेगा छनाई कार्य में हुऐ व्यय की धनराशि को बीजक से समायोजित कर लिया जायेगा निर्धारित साइज से कम या ज्यादा साइज की बजरी मान्य नही होगी ।

11– बजरी आपूर्ति के पश्चात आपूर्ति कर्ता को उत्तराखण्ड सरकार के खनिज विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र साइट इन्चार्ज को उपलब्ध कराने पड़ेगे ।अन्यथा की स्थिति में ठेकेदार के बीजक से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी ।

12–कार्य का भुगतान अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, गोरखपुर द्वारा अनुमोदित की गयी दरों पर किया जायेगा ।

13–कार्यस्थल पर कार्य सम्पन्न कराते समय यन्त्र–सन्यत्र तथा कार्यरत कुशल/अकुशल श्रमिकों की सुरक्षा का दायित्व पूर्णतया निविदा दाता का होगा । विभाग किसी प्रकार की यत्र–संयत्र में हुई टुट–फूट अथवा श्रमिकों के साथ हुई किसी भी प्रकार की अकास्मिक घटना अथवा जन–धन की हानि हेतु उत्तरदायी नही होगा ।

14–ठेकेदार द्वारा निविदा में दरे समस्त करों को सम्मिलत करते हुऐ दी जायेगी । ठकेदार को अलग से किसी प्रकार का कोई भी कर नही दिया जायेगा ।

15–निविदादाता को निविदा डालने के लिए http://etender.up.nic.inपर पंजीकरण कराना अनिवार्य.होगा। निविदा आनलाईन डालनेहेतु निविदादाताओं के पास किसी डिजीटल सिगनेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग अथारिटी द्वारा निर्गत डिजिटल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।

16–निविदादाता निविदा में दी गई शर्तो का निविदा प्रेषित करने से पूर्व अवश्य देख ले।

17–अनुबन्ध करने के पूर्व 10 प्रतिशत जमानत धनराषि पर नगद जमा की गई धनराषि पर रुपया 125/–(एक सौ पचीस रुपय मात्र) प्रति हजार की दर से एवं एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्र के रुप में जमा की गयी राशि पर 70/–(सत्तर रुपये) मात्र प्रति हजार की दर से स्टाम्प ड्यूटी जमा करनी होगी। जो स्टाम्प पेपर के रुप में मान्य होगी।

18–ठेकेदार से कराये गये कार्यो का भुगतान करते समय बीजक से आयकर/जी0एस0टी0/लेबर सेस आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

19–निविदा दाता द्वारा निवेदित दरों पर किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क विभाग द्वारा देय नही होगा ।

(गौरव सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड
गोरखपुर